HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1067/2026

Irfan @ Iffi S/o Shri Aamin, Aged About 34 Years, R/o Village Mancha, Teh P.s. Kishangarh Bas, Dist. Khairthal-Tijara (Rajasthan) (Presently In Sub Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Atul Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**किशनगढ़बास जिला–खैरथल तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **372/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 109(2), 3(5) बी.एन.एस.** में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। वास्तविकता में घटना परिवादी पक्ष द्वारा कारित की गई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–368/2025 पुलिस थाना–किशनगढबास पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ही प्रार्थी–अभियुक्त पक्ष द्वारा दर्ज करवाई जा चुकी थी। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी–अभियुक्त इरफान उर्फ इफ्फी द्वारा आहत कायम के सिर पर फरसी की मारना बताया गया है, लेकिन उसके आधिपत्य से फरसी की बरामदगी ही नहीं हुई है, बल्कि लाठी बरामद होना बताया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध व्हाट्सएप पर हथियार सहित धमकी भरे मैसेज वायरल करने सम्बन्धी अपराध प्रमाणित नहीं हुए है।

उनका तर्क है कि आहत कायम के जो चोट कारित हुई है, वह केवल गंभीर प्रकृति की होना पाई गई है। यह चोट प्राणघातक नहीं है। अतः उसके विरूद्ध धारा 109(2) बी.एन.एस. में दण्डनीय अपराध का अभियोग बनता ही नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 31.10.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। उसके विरूद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के सहअभियुक्तगण आमिन खान, जहुल व रोबिन खान को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजन का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आहत के सिर पर चोट कारित करने का आक्षेप है। उनका तर्क है कि आहत के सिर पर पार्श्विक भाग (Parietal Region) व सिर के पीछे के हिस्से (Occipital Region) पर अस्थिभंग की चोट कारित होना चिकित्सक ने बताया है। आहत के डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त इस चोट के उपचार हेतु 8 दिन एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त का मामला अन्य सहअभियुक्तगण आमिन खान, जहुल व रोबिन खान से भिन्न है। उसके विरूद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से एक प्रकरण धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का भी है। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार पक्षकारों के मध्य प्याज के बीज के संव्यवहार से सम्बन्धित लेनदेन की बात को लेकर झगडा हुआ था। इस झगडे के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त इरफान द्वारा आहत कायमदीन के सिर पर फर्सी की मारना व अन्य अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डों आदि से परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। धारा–180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में आहत कायमदीन ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त इरफान ने उसके सिर पर फर्सी की मारी थी। इसके अलावा साक्षीगण असमीना, उमरदीन जमशेद, नबी अहमद, हुरमत आदि ने भी आहत कायमदीन के सिर पर प्रार्थी–अभियुक्त इरफान द्वारा चोट कारित करना कहा है। पत्रावली पर उपलब्ध आहत के चोट प्रतिवेदन के अनुसार आहत कायमदीन के सिर पर गंभीर प्रकृति की दो चोटें उसके सिर पर पार्श्विक भाग (Parietal

Region) व सिर के पीछे के हिस्से (Occipital Region) पर अस्थिभंग के रूप में कारित होना बताया गया है। रेडियोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आहत के एक्सरे प्लेट में Removal of depressed segment of Left Parietal bone होना पाया गया है। आहत की NCCT Brain के अनुसार भी उसके सिर के पार्श्विक भाग पर धॅसा हुआ फ्रेक्चर होना पाया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार Subdural haemorrhage is seen in left parietal lobe convexity, maximum thickness approx. 4mm with depressed fracture overlying parietal bone.Air underlying left frontal lobe convexity and left parietal lobe cortical sulci. पाया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस चोट के सम्बन्ध में चिकित्सक की राय ली गई तो बताया गया कि इस चोट का सावधानीपूर्वक ईलाज नहीं किए जाने की स्थिति में यह चोट जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है (It could be dangerous to lie if not finely treated). आहत के डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त इस चोट के उपचार हेतु 8 दिन एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में भर्ती रहा है। जहां तक अन्य अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार होने का प्रश्न है, प्रार्थी–अभियुक्त का मामला अन्य सहअभियुक्तगण आमिन खान, जहुल व रोबिन खान से भिन्न है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से एक प्रकरण धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का भी है तथा अन्य प्रकरण धारा 332, 353, 379/34, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 29, 32, 33, 41, 42 वन्य जीव अधिनियम से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा आहत के शरीर पर आई गंभीर चोटों की प्रकृति को देखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /29